स्मरण–पत्र

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / एटी / प02 / 2019 / 750 दिनांक 5 / 12 / 2019

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक / अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज,
निदेशक, ई.एस.आई. / एम.एस.यू., संबंधित
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय : राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.09.19 के द्वारा किये गये स्थानान्तरण आदेशों की पालना के संबंध में।

प्रसंग : राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.1(1)चिस्वा / ग्रुप–2 / 2019 दिनांक 20.11.19 एवं निदेशालय का समसंख्यक पत्रांक 720 दिनांक 20.11.19

——— : : '——— : : ———

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव प्रसांगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा चिकित्सको के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29 09 19 के द्वारा (1223+91+28+12 कुल 1354) जारी किये गये, जारी आदेश की पालना मे आपके अधीन पदस्थापित चिकित्सकों को तुरन्त कार्यमुक्त कर पालना रिपार्ट 03 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना के सबध मे आपके विरूद्ध सीसीए नियम–17 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वय व्यक्तिश उत्तरदायी होगें।

सबंधित चिकित्सकों को भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पाला में संबधित नियत्रण अधिकारी से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करे अन्यथा राज्यादेशो की अवहेलना के सबंध मे आपके विरूद्ध सीसीए नियम–17 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें।

(डॉ0 के0के0 शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमाक : राजपत्रित / एटी / प02 / 2019 / 750 दिनाक 5 / 12 / 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय स्वास्थ्य मत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एव स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2), विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये, जोन–संबधित को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन जिलों में उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने हेतु अपने स्तर से पाबन्द करें।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट / संबधित की ई–मेल आईडी पर अपलोड करावें।
6. निजि / आदेश पत्रावली।

(डॉ0 के0के0 शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।